्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

...2/86/2024. तारीख रजू...........................

ा का ... बनाम

मंजू केशवदेव वगैरा

ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.05.2024	वकील प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया।प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील प्रार्थी ने शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने का निवेदन किया वकील प्रार्थी को एकपक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण् को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तरीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1047/1167 1022, 1048, 118/1170, 119/1172, 128/1165, 987/1168, 1011,वाके ग्राम अर्रुवा तहसील कठूमर में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चुकिं एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे मे अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिये कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावेगा। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 27.06.2024 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 27.06.2024 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
22/6/24	वकील प्रार्थी ....उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक........27/5/24 की पालना में पत्रा. ... वास्ते ... रजि0 डाक दिनांक..2/8/24 .... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	